

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



बिहार BIHAR

102 राहुल रंजन पिता ममुता मेडल खाकी माझपुर  
माना सिविल एडिग गिला जारा

K 448096

15879

हरनाथ सहाय  
मुद्रांक बिकेता जहानाबाद  
ला० न०-18/71



24 FEB 2014

36- जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

भाग-क

में राहुल रंजन पुत्र/पुत्री/पत्नी ममुता मेडल

आयु 27 वर्ष, जो मु० माझपुर, खाकी, सिविल एडिग गिला

पो० सांडघोरा, जिला- जारा

..... (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ-

(1) मैं 2012-1905 शुक्ति सोर्चा (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खडा

..... जिला गया अभ्यर्थी/ के रूप में लड रहा है।



No. 03 Date: 21 MAR 2014

- (2) मेरा नाम 230- राधा राजि, विहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में  
भाग सं० 193 के क्रम सं० 531 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क मो० नं० 9852286390, 9931544773  
मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) raahul4167@gmail.com  
एवं मेरा सोशल मीडियाएकाउंटस (यदि कोई हो) शून्य है।
- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति-

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपया में)
1	स्वयं	BJDPR8995L	2013-14	2,65,000/-
2	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4	अश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य



- (5). मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी- **लागू नहीं**

- (i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्य
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्य
(घ)	न्यायालय, जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	शुन्य
(ङ)	तारीख(तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/है	शुन्य

- (ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्ववक्त **लागू नहीं** मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न}-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्य
(ख)	इन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शुन्य
(ग)	पूर्ववक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध परीक्षण के लिए फाइल की गई (पील(अपीलो)/आवेदन(आवेदनो))(यदि कोई हो) के ब्यौरे	शुन्य



7). मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

लागू नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुन्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शुन्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शुन्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शुन्य

(7). मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आश्रितियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आश्रितियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आश्रितियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

यदि आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन टिप्पण(5) में है।

इस ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।



विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
हाथ में नकदी	50,000/-	20,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	पंजाब के. बैंक, ए.पी. कोलनी शाखा - 8,000/- PNB- सौदचौस शाखा जमा 1,000/-	पंजाब नै. बैंक, ए.पी. कोलनी शाखा - 22,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनियनों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	L.I.C. 10 लाख	शून्य	L.I.C. 5 लाख	शून्य	शून्य
किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मोटरयान/वायुयान/याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं)(भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	सोना 10gms 30,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य आस्तियां जैसे कि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दाता/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कल मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शात नदी	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2 एकड़	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हा या नहीं)	है	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	8 लाख	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
(ii)	गैर कृषि भूमि - अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हा या नहीं)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध



	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	(iv)	आवासीय भवन(अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	ज्ञात नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)		400 वर्ग फुट	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)		400 वर्ग फुट	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)		हो	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य



	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10 लाख	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
(v)	अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
(vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	18 लाख	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध

- (8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-  
(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	कोई अन्य दायित्व	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	दायित्वों का कुल योग	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
(ii)	सरकारी शोध्य - सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	कुल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध



	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सरकारी परिवहन( वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	आय-कर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	धनकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सेवाकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विक्रयकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लॉबित है का वर्णन करें।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

(9). वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं..... माइकेट शिक्षक

(ख) मन्त्रि या पत्नी..... माइकेट शिक्षक

(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार है-

..... स्नातक कला (उद्योग प्रविष्टि), श्री बागेश्वरी कॉलेज, गथा, वर्ष- 2013

..... प्राध. वि. वि. बोधगथा (गथा)




(प्रमाणपत्र कि प्रोग्राम/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दिते हुए प्रमाणपत्र महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

11). भाग-क के (1) से (10) तक दिये गये ब्यौरे का उद्घरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुभ राहुल देवन		
2	डाक का पता	मु० ग्राउनपुर, थाना- सिविल लाईन्स, पो- चांदचौरा, जिला- गया		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<del>33</del> जयभारत, विहार Plan B 230- गया टाउन, विहार		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कारखण्ड मुक्ति मोर्चा		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शुन्य		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शुन्य		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोष उठराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शुन्य		
7		आयकर का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	BTOPR 8995L	2013-14	₹. 65,000/-
	(ख) पति या पत्नी	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	(ग) आश्रित	शुन्य	शुन्य	शुन्य



8		आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)				
विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्थावर आस्तियां	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
ख	I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
		(ख) विससती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
9		दायित्व	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(i)	सरकारी शोष्य (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i)	सरकारी शोष्य (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध



सैद्धांतिक अर्हता - स्नातक (कला), मां बागेश्वरी कॉलेज गया वर्ष 2013

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)


## सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हू कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 21.03.2014 को सत्यापित किया गया।

  
अभिसाक्षी

टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।


टिप्पण - 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष संपर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9852986390, 9931544773

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है rahul4167@gmail.com

मेरा सोशल मीडिया एकाउंटस (अगर कोई हो) है 2525



  
NOTARY  
Jehanabad

21 MAR 2014